मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 22, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री सुन्दरलाल उरैती, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का द्वितीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य प्राणियों का संरक्षण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री वन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, गिरिजा शंकर शर्मा, अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, प्रदेश के बी.एड. कालेजों को मान्यता न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल जिले के नेहरू नगर स्थित एस 380 से एस. 390 के सामने खेल के मैदान से अतिक्रमण हटाने एवं उद्यान बनाये जाने,

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) नगर के वार्ड क्रमांक 37के बुरहानी मोहल्ला में ट्यूबवेल खनन किये जाने,
(ख) शहर के वार्ड क्रमांक 44 में सड़क नाली एवं सुलभ काम्पलेक्स निर्माण किये जाने,
(ग) शहर के वार्ड क्रमांक 44 की शासकीय डिस्पेंसरी में पुरूष एवं महिला डॉक्टर नियुक्त किये जाने,
(घ) कसेरा बाजार के कच्चे नाले की खुदाई कराकर पक्का नाला बनाये जाने,
(ङ) शहर की सुनार बावड़ी प्राचीन कुंड का जीर्णोद्धार कराये जाने, तथा
(च) भोपाल शहर स्थित साऊथ टी.टी. नगर के शासकीय आवास गृह क्रमांक जी 74/1 से जी 74/10 तक टूटी हुई सीवेज लाईन ठीक कराये जाने,

(3) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य, बालाघाट जिले के -

(क) मानेगांव विकास खण्ड बिरसा की आदिम जाति कल्याण विभाग की शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल में गणित एवं विज्ञान विषय प्रारंभ किये जाने,
(ख) ग्राम बीजाटोला विकासखण्ड विरसा में आदिम जाति कल्याण विभाग की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम दमोह से सिंघनपुरी तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(घ) ग्राम दीनाटोला में पेयजल हेतु नवीन नलजल योजना प्रारम्भ किये जाने,
(ङ) ग्राम खजरा में आदिम जाति कल्याण विभाग की शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(च) विकास खण्ड बैहर के पद्दी नाला नेवरगांव जलाशय एवं पचामा जलाशय का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 जुलाई, 2009